(वाद सं0–1400–4–16/2020)

18.03.2021

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, हेमन्त कुमार दौलानी, के एम0जी0 रोड कटिहार स्थित पैतृक व्यवसायिक भूमि एवं मकान को नीरज पासवान व अंचलाधिकारी, कटिहार, सदर, श्री जय जय राम द्वारा षड्यंत्र रचकर फर्जी नामान्त्ररण करने व पुलिस को मेल में लाकर उसके कंबल दुकान एवं होटल को दिन–दहाड़े लूटने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में जिलाधिकारी, कटिहार व पुलिस अधीक्षक, कटिहार से अलग–अलग प्रतिवेदन की मांग की गयी।

पुलिस अधीक्षक, कटिहार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी हेमंत कुमार दौलानी तथा उसके बड़े भाई मुकेश कुमार दौलानी के दुकान पर आकर गाली–गलौज करने, पिस्टल का भय दिखाकर जान मारने की धमकी देने एवं रंगदारी के रूप में 50,000/–रुपया गल्ला से ले लेने व दुकान का कंबल चोरी कर लेने के संबंध में भा0द0स0 की धाराओं, 447/ 341/ 323/ 385/ 379/ 504/ 506 के अन्तर्गत नीरज पासवान व अन्य 50 अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध नगर थाना कांड संख्या–16/20, दिनांक 08.01.20 संस्थित किया गया है। जिसमें अनुसंधानापरान्त नीरज पासवान व अन्य अज्ञात के विरूद्ध उनकी संलिप्तता को सत्य पाकर नीरज पासवान के विरूद्ध आरोप–पत्र समर्पित कर दिया गया है तथा वर्तमान में प्रसंगाधीन मामला न्यायालय में लंबित है।

जिलाधिकारी, कटिहार द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार व अंचलाधिकारी, कटिहार के प्रतिवेदनों व सुसंगत कागजातों को अनुलग्निन कर प्रतिवेदित किया गया है कि केवाला संख्या–261, दिनांक 05.01.1993 के आलोक में मौजा–दुर्गापुर/डहेरिया, वार्ड नं0–07, खाता संख्या–46, खेसरा संख्या–101, रकवा–04.25 डिसमिल का नामान्तरण छाया देवी के पक्ष में किया गया है। उपरोक्त छाया देवी से एकरारनामाकर्त्ता नीरज पासवान द्वारा प्रश्नगत भूमि पर कब्जा करने की नीयत से लूट–पाट व मार–पीट किये जाने का उल्लेख परिवादी द्वारा अपने परिवाद–पत्र में किया गया है। प्रतिवेदनानुसार परिवादी हेमंत कुमार दौलानी के भाई मुकेश कुमार दौलानी द्वारा प्रश्नगत भूमि के छाया देवी के नाम से नामान्तरण को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कटिहार के न्यायालय में

चुनौती दी गयी। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा अंचलाधिकारी के छाया देवी के पक्ष में किये गये नामान्तरण को रद्द कर दिया गया।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कटिहार के न्यायालय में नामान्तरण अपील की सुनवाई के क्रम में सही केवाला संख्या–261, दिनांक 03.01.1964 समर्पित की गयी जिसके अनुसार उक्त प्रश्नगत भूमि, खतियानी जमाबंदी रैयत, प्रेमचंद्र जोतवानी, धर्मचंद जोतवानी व नारायण दास जोतवानी ने छाया देवी के पक्ष में विक्रय–विलेख से निष्पादित किया था। प्रतिवेदनानुसार प्रस्तुत मामला रैयती भूमि–विवाद प्रतीत होता है तथा जिलाधिकारी, कटिहार के प्रतिवेदनानुसार परिवादी को अपने अनुतोष की प्राप्ति हेतु सक्षम प्राधिकार/सिविल कोर्ट में सिविल वाद दाखिल करने का सुझाव दिया गया है।

जहां तक परिवादी के साथ किये गये आपराधिक मामले का संबंध है, पुलिस द्वारा उस मामले में अनुसंधानोपरान्त आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है तथा मामला न्यायालय में विचाराधीन है जबकि परिवादी जिस प्रश्नगत भूमि को अपनी भूमि बता रहे हैं वह एक सद्भावनापूर्ण भूमि–विवाद प्रतीत होता है जिसके संबंध में परिवादी सक्षम सिविल कोर्ट से अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त सुझाव के साथ प्रसंगाधीन मामला को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न मानते हुए राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश व जिलाधिकारी, कटिहार तथा पुलिस अधीक्षक, कटिहार के प्रतिवेदन की प्रति संलग्न कर परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक